लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या / 83 / 2020 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 16.09.2020
GCMS NO:-2020/00334

डॉ. रणजीत सिंह चौहान मु. पो. भादसोड़ा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 06.10.2020

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 10.07.2020 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 83 / 2020 / (06.10) / 618 दिनांक 18.09.2020 से सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा को दिनांक 06.10.2020 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी सम संख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 06.10.2020 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा ने अपने पत्र क्रमांक / सू.अ. / 2020 / 78 दिनांक 05.10.2020 से कमेंट्स प्रेषित किये कि अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय की भूमि अवाप्ति की मि. नं. 44 / 2007 के संबंध में सूचना चाही गई थी। प्रार्थी द्वारा वांछित रेकार्ड कार्यालय हाजा में काफी तलाशी के बावजूद नहीं मिला है। रेकार्ड नहीं मिलने के अभाव में सूचना दिया जाना संभव नहीं था जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / सू.अ. / 2020 / 64 दिनांक 19.08.2020 के माध्यम से जरिये

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पंजीकृत ड़ाक से प्रार्थी को दी गई थी। उक्त सूचना कोरोना महामारी में व्यस्त होने के कारण समय पर नहीं दी जा सकी। इसलिए अपीलार्थी का यह कथन सही नहीं है कि प्रार्थी को सूचना नहीं दी गई। अपीलार्थी की अपील तथ्यों से परे है को निरस्त फरमाने का आदेश करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा अपने पत्रांक/सू.अ./2020/78 दिनांक 05.10.2020 से प्रेषित कमेंट्स का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा ने कोरोना महामारी में व्यस्तता एवं वांछित मिसल काफी तलाश करने के बावजूद भी नहीं मिलने से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना नहीं दिया जाना बताया है।

अपीलार्थी द्वारा मिसल संख्या 44/2007 निर्णय दिनांक 05.06.2007 से संबंधित सूचनाऐं/प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही गई है तथा उक्त मिसल निर्णित हुए बहुत अधिक समय व्यतीत नहीं हुआ है। अतः सहायक लोक सूचना अधिकारी का उक्त कथन की काफी तलाशी के बावजूद भी वांछित रेकार्ड नहीं मिला है सर्वथा उचित नहीं है।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त मिसल/रेकार्ड को अविलम्ब तलाश करावें तथा अपीलार्थी को 15 दिवस में वांछित सूचना निः शुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र./परिश्ता/प्र.सं./83/2020(सू.अ.)/654 दिनांकः– 06/10/2020

प्रतिलिपिः–

1. सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा
2. डॉ. रणजीत सिंह चौहान मु. पो. भादसोड़ा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official